

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-9/आ०-02-15/2025(स्वा०)...../ पटना, दिनांक:-.....

डा० रामकृष्ण सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नुआँव, कैमूर, भभुआ के विरुद्ध सिविल सर्जन, कैमूर के पत्राक-919 दिनांक-01.04.2025 द्वारा श्री अमित कुमार मिश्रा, ग्राम-महिला, थाना-कुढनी जिला-कैमूर का एक ही जख्म का दिनांक-14.05.2024 को "सामान्य" एवं दिनांक-14.06.2024 को "गम्भीर" प्रकृति का जख्म प्रतिवेदन निर्गत करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है। डा० सिंह द्वारा अपने पदीय कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं कर्तव्यहीनता के लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(i) के तहत तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में डा० सिंह का मुख्यालय, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में डा० सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. संदर्भित आरोपों की जाँच हेतु इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक: 9/आ०-02-15/2025(स्वा०)447(9)/ पटना, दिनांक:-14.05.25

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)/कोषागार पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

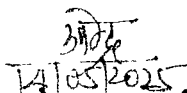
प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—डा० रामकृष्ण सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नुआँव, कैमूर, (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 03, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।